

फर्द आकाम

नियम 28

प्रदाता अपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा
परमेश्वरी आदि वामा अजमेर सिंहा
मुकदमा RTAct. 212 नं० 46 / 13.06.2018 सं० 2018

स हुमम हुमम या कार्यवाही मय हुनीशियल अज
अजमेर व भादरा फर्द आकाम की हुमम की सापील अजि हुमम

2018

आज यह स्थान प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि सीही मीजा तक 7 एएमएस के खाता सं० 110/100 की कुल 5.778 हेक्टर नहरी सायल व गैरसायल की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है फरीकेन का आपस में सीव डील व लगान आदि का विवाद रहता है सायलान औरत जात है गैर सायलान थमकी देते है कि भूमि कास्त नहीं करने देगे गैरसायल प्रार्थी की कब्जा कास्त भूमि में देखलअंदाजी कर रहा है तथा कब्जा करने के ताक में है अतः गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध कराया जावे।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय वदरा सुनकर वदरा एवं रिकार्ड से संतुष्ट होकर अप्रार्थी के विरुद्ध आगामी तारीख तक इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ऊपर वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीगण के एक हिस्से तक कब्जा कास्त में स्वयं या अन्य व्यक्तियों के माफत देखल-दाजी न करें। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को अज एतसाज ही तो असाहतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.07.2018 को पेश है।

[Signature]
अपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-नुमानागढ़)

7/18/18

वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया
प्रार्थी की वकील प्रार्थी के द्वारा
पेश किया गया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया वकील प्रार्थी
ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अन्तरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि सीही मीजा तक 7 एएमएस
के खाता सं० 110/100 की कुल 5.778 हेक्टर नहरी सायल व गैरसायल
की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है फरीकेन का आपस में सीव डील
व लगान आदि का विवाद रहता है सायलान औरत जात है गैर सायलान
थमकी देते है कि भूमि कास्त नहीं करने देगे गैरसायल प्रार्थी की
कब्जा कास्त भूमि में देखलअंदाजी कर रहा है तथा कब्जा करने के
ताक में है अतः गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध
कराया जावे।



23.8.18

वकील चादी/प्रतिकर्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी लुप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वारते...
दिनांक 23.8.18 को पेश है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
फर्द अफ्काम की
हुक्म की तामील
जारी हुआ

14 पत्रावली पेय हुई। वहील जाली कहुग
उपरी खंयं कहुपक्षित / आलाक लगेरि
गई। बाल-2 आलाक लगेते वल भी
वहील जाली खंयं उपरी खंयं कहुपक्षित।
अतः पत्रावली कदर मापती कदर
जेटनी के खातीक भी जानी है। पत्रावली
वांछते है कहु कहु वहील कदर है।